न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 26/ 2016 जिला सीकर

सिणगारी पत्नी घडसीराम उर्फ घासीराम जाट निवासी खातीवास, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

कमला देवी पत्नी ईश्वर सिंह नाता विवाह प्रभूदयाल जाट , निवासी कैलाश फर्जी निवासी खातीवास, तहसील दांतारामगढ , जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. कलक्टर सीकर दिनांक 23.5.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक – 20.11.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 23.5.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गोडियावास, तहसील दांतारामगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 645 से 648, 656 व 657 कुल किता 6 रकबा 9.95 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 250 में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट सिणगारी देवी द्वारा क्रय किया था । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 289 उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2012 की पालना में अपीलान्ट सिणगारी के विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की बजाय रेस्पोंडेन्ट कमला देवी धर्मपत्नी ईश्वर सिंह हिस्सा 1/10 , अपीलान्ट सिणगारी धर्मपत्नी घासीराम हिस्सा 4/10 दर्ज कर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा दिनांक 11.6.2012 को तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट सिणगारी द्वारा अपील न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2016 द्वारा चुनौतिग्रस्त नामांतरकरण न्यायालय खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय व डिक्री की इजराय में दर्ज किये जाने से उसमें कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मानते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है , जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा क्रय के पश्चात् विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । विवादित भूमि अपीलान्ट की स्वअर्जित भूमि थी न कि पैतृक भूमि । रेस्पोंडेन्ट कमला देवी के वाद में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2012 की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण

तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के 1/2 हिस्से के स्थान पर कमला देवी हिस्सा 1/10 व सिणगारी हिस्सा 4/10 अंकित कर स्वीकार कर दिया । उनका कहना था कि अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री को राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में चुनौती दे रखी थी एवं व्यवहार न्यायालय में दावा विचाराधीन था । प्रकरण सबज्यूडिस होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट के विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोंडेन्ट द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । बहस के दौरान प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.5.2012 के खिलाफ अपीलान्ट के पति घडसीराम उर्फ घासीराम की अपील संख्या 144/2012 में न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.5.2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.5.2012 खारिज की गई एवं प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया गया है । जिस उप खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में नामांतरकरण तस्दीक हुआ है वह निर्णय व डिक्री राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 2.5.2017 द्वारा निरस्त हो चुके है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर प्रश्नगत नामांतरकरण से पूर्व की स्थिति कायम की जावे ।

प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 289 दिनांक 11.6.2012 जो सिणगारी के स्थान पर कमला देवी हिस्सा 1/10 व सिणगारी हिस्सा 4/10 के नाम तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2012 की पालना में तस्दीक किया गया है । चूंकि उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2012 घडसीराम बनाम कमला देवी उनवानी अपील में न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 2.5.2017 द्वारा खारिज किया जाकर प्रकरण उन्हें रिमाण्ड किया गया है । ऐसी स्थिति में पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण संबंधी वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकारों का निर्धारण होना है तथा दावे के निर्णय के उपरान्त निर्णयानुसार नामांतरकरण तस्दीक होगा । नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2016 से अपीलान्ट सिणगारी की अपील चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण न्यायालय की डिक्री की इजराय में दर्ज किये जाने से उसमें कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मानते हुये खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष विचाराधीन है एवं पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण उसमें ही होना है । ऐसी स्थिति में हम प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 289 दिनांक 11.6.2012 एवं अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सोचकर दिनांक 23.5.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर